कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक /1774 /जजाकावि/ स्थापना /2023 सिंगरौली दिनांक 04/04/2023

आदेश

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 19.10.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अंतर्गत सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के बिकल्प पर प्राप्त निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में नियुक्त किया जाता है–

2/

Sr.No	Name	Fathers Name	Address	Roll No	Rank	Category	Selected Category	Posting Place	District
1	SANGITA JATAV	MADANLAL	0 GRAM SUAKHEDI POST RANGAI VIDISHA VID M.P. 464001	2271511	34404	SC	SC/X/F	SC MAHAVIDHYALEEN GIRLS HOSTEL NAVEEN WAIDHAN (पूर्व का अनुसूचित जाति कन्या सीनियर छात्रावास नवीन वैढ़न)	SINGRAULI

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम– 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रूपये 25300/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्र. (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि(3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस. ई–मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें ऐसा करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार हैः–

I. नियुक्ति आदेश।
II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्लू.एस. का नवीनतम प्रमाण पत्र)
IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र (परिशिष्ट–1)
V. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
VII. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है।)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति।
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड।
XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट–2)

7/ उक्त दस्तावेजों का सहायक आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तो की राशि जमा करनी होगी।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, आदि विषय म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 एवं म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण सेवा (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के प्रावधानो के अंतर्गत शासित होगें तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 14 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

11/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक के लिये परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जावेगी।

12/ अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जावेगा।

13/ आवासीय विद्यालयों में जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

विशेष टीप– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते है अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

पृ. क्रमांक/1775/जजाकावि/स्थापना/2023

सिंगरौली दिनांक 01/04/2023

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
6. संभागायुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
8. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा संभाग, रीवा म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, सिंगरौली, म.प्र.।
11. संबंधित संस्था प्रमुख .... जिला सिंगरौली म.प्र.।
12. श्री ....

को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सिंगरौली को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवसो के भीतर अपनी उपस्थिति देवें।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/1786 /जजाकावि/ स्थापना /2023 सिंगरौली दिनांक 04/04/2023

आदेश

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 19.10.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अंतर्गत प्राप्त निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में नियुक्त किया जाता है–

2/

Sr No	Name	Fathers Name	Address	Roll No	Rank	Category	Selected Category	Posting Place	District
1	ARPIT SINGH	UDAY PRATAP SINGH	71 VILLAGE ALMAPUR POST TRIVEDIGANJ TEHSIL HAIDERGARH BARABANKI U.P. 225126	23217213	5	UR	UR/X/OP	ST. BOYS ASHRAM CHAURADAD	SINGRAULI
2	DIPTI SINGH	DINESH SINGH	WARD NO 5 MODINAGAR TALAPAR ROAD SHANKARHARH BARA ALLAHABAD U.P. 212108	23223083	761	UR	UR/X/OP	ST GIRLS ASHRAM LANGHADOL	SINGRAULI
3	RAJ KUMAR	AMAR CHAND	22 SAHU BASTI KADI KHEDI CHHABRA BARAN RAJASTHAN 325219	22900291	1146	UR	UR/X/OP	ST BOYS ASHRAM DEOSAR	SINGRAULI
4	ASHOK NAGAR	RAMMANOHAR NAGAR	NONE VILL SARTHAL POST SARTHAL TEH CHHIPABAROD BARAN RAJASTHAN 325221	23323545	1465	UR	UR/X/OP	ST BOYS ASHRAM TINGUDI	SINGRAULI
5	YAGYAVALKYA DWIVEDI	SHASHANKDHAR DWIVEDI	0000 VILLSHEORAJPUR POST SHANKARGARH BARA ALLAHABAD U.P. 212108	23118703	1466	UR	UR/X/OP	ST BOYS ASHRAM (ENGLISH MEDIUM SINGRAULI)	SINGRAULI
6	RAVIKANT BAIRWA	BABU LAL BAIRWA	MUNDALA HALAGANA MUNDALA CHHABRA BARAN RAJASTHAN 325220	22913891	1518	UR	UR/X/OP	ST BOYS ASHRAM PONDI	SINGRAULI
7	MANISH KUMAR SINGH	HIRALAL KUSHAWAHA	52 SHAHPUR KHURD KARCHANA MEJA ALLAHABAD U.P. 212301	23283406	1620	UR	UR/X/OP	ST BOYS ASHRAM MAKROHAR	SINGRAULI
8	CHANDRA KANT MAURYA	MAHATIM MAURYA	88/114 RAILWAY STATION ROAD SARAI MP 486881	23269626	5414	UR	GF/UR/X/OP	ST GIRLS ASHRAM SARAI	SINGRAULI
9	RAMKRISHNA MISHRA	VISHNUDEV MISHRA	VILL JIVLA POST RATAHARA TEH RAIPUR KARCHULIYAN REWA M.P. 486003	23114742	12466	EWS	GF/EWS/X/OP	ST GIRLS ASHRAM BARKA	SINGRAULI
10	NEELESH MEHRA	GHANSHYAM	VILLAGE BHINDWAR POST IMALIYA BAGHORA TEHSIL GADARWARA NSP M.P. 487225	22672230	14762	SC	SC/X/OP	ST BOYS ASHRAM SAKARIYA	SINGRAULI
11	PRAGYA PANDEY	NAGENDRA KUMAR PANDEY	VILL RAMPUR POST DHAWAIYA TEHSIL MANGAWAN REWA M.P. 486114	23141204	24804	EWS	GF/EWS/X/F	ST GIRLS ASHRAM BAMHANI	SINGRAULI

Sr No	Name	Fathers Name	Address	Roll No	Rank	Cate gory	Selected Category	Posting Place	District
12	SHANU AHIRWAR	LAKHAN SINGH	BHAGAT SINGH WARD KANDELI NARSINGHPUR NSP M.P. 487001	2300 4787	32992	SC	SC/X/F	ST BOYS ASHRAM DHUNGHKH AD	SINGRAULI
13	DINESH KUMAR SIRVAIYA	CHHATAR SINGH	40 NEGUWAN SALAIYA UMARIYA GOTEGAON NSP M.P. 487118	2300 8459	47819	SC	GF/SC/X/O P	ST. MIX ASHRAM BAIRITOLA	SINGRAULI
14	RAJNI MEHARA	VISHNU PRASAD	MUSHRAN WARD SANKAL ROAD KANDELI NARSINGHPUR NSP M.P. 487001	2300 9123	97419	SC	GF/SC/X/F	ST MIX ASHRAM KUSHAHANI YA	SINGRAULI
15	KAILASH MUDIYA	KHOOB CHAND MUDIYA	223 JAGARTI NAGAR BHAGAT SING WARD GOTEGAON NSP M.P.487118	2301 7080	100197	ST	ST/X/OP	ST MIX ASHRAM DIPWA	SINGRAULI
16	RAJESH KUMAR AGRIYA	CHHOTEL AL AGRIYA	60 LALMATI CHITRANGI SNG M.P. 486882	2329 2867	127034	ST	ST/X/OP	ST BOYS ASHRAM SAJWAHA	SINGRAULI
17	ANTAR DHYANI SINGH	MAN SINGH	14 KHANDHAULI POST CHATNIHA DEOSAR SNG M.P. 486881	2329 6341	131748	ST	ST/X/OP	ST GIRLS ASHRAM KHANDHOLI	SINGRAULI
18	DEEGAMBA R RATHIYA	CHHOTEL AL RATHIYA	DUDHAMANIYA JHARA JHARA SARAI SNG M.P 486669	2329 474	151780	ST	ST/X/OP	ST BOYS ASHRAM SAJAPANI	SINGRAULI
19	RADHIKA PAIKARA	RAM DAS PAIKARA	452 NEVARI CHITRANGI SNG M.P. 486670	2327 9463	156817	ST	ST/X/F	ST MIX ASHRAM DIPWA	SINGRAULI
20	SAVITRI PANIKA	SAMAY LAL PANIKA	14 DEORI POST BHUIMAND KUSMI SID M.P. 486669	2328 3458	176869	ST	ST/X/F	ST. BOYS ASHRAM SAJAPANI	SINGRAULI

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम– 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रूपये 25300/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्र. (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि(3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस. ई–मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें ऐसा करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

I. नियुक्ति आदेश।
II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्लू.एस. का नवीनतम प्रमाण पत्र)
IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र (परिशिष्ट-1)
V. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
VII. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है।)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति।
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड।
XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-2)

7/ उक्त दस्तावेजों का सहायक आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तो की राशि जमा करनी होगी।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, आदि विषय म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 एवं म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण सेवा (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के प्रावधानो के अंतर्गत शासित होगें तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 14 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

11/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक के लिये परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जावेगी।

12/ अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जावेगा।

13/ आवासीय विद्यालयों में जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

विशेष टीप– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते है अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

पृ. क्रमांक/1787/जजाकावि/स्थापना/2023 सिंगरौली दिनांक 01/04/2023

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
6. संभागायुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
8. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा संभाग, रीवा म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, सिंगरौली, म.प्र.।
11. संबंधित संस्था प्रमुख .... जिला सिंगरौली म.प्र.।
12. श्री ....
....

को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सिंगरौली को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवसो के भीतर अपनी उपस्थिति देवें।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक / 1790 / जजाकावि / स्थापना / 2023 सिंगरौली दिनांक 07/04/2023

आदेश

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के निय्रम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 19.10.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अंतर्गत सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के बिकल्प पर प्राप्त निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में नियुक्त किया जाता है–

2/

Sr.No	Name	Fathers Name	Address	Roll No	Rank	Category	Selected Category	Posting Place	District
1	RAMESH SINGH	RAMDAVAN SINGH	VILL RAJDAHA POST SAKARIYA TEH CHITRANGI DISTT SINGRAULI SNG M.P. 486882	23286953	115046	ST	ST/X/OP	SC JR. BOYS HOSTEL CHITRANGI	SINGRAULI

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम– 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रूपये 25300/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्र. (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि(3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस. ई–मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें ऐसा करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:–

I. नियुक्ति आदेश।
II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्लू.एस. का नवीनतम प्रमाण पत्र)
IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र (परिशिष्ट–1)
V. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
VII. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है।)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति।
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड।
XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट–2)

7/ उक्त दस्तावेजों का सहायक आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तो की राशि जमा करनी होगी।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, आदि विषय म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 एवं म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण सेवा (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के प्रावधानो के अंतर्गत शासित होगें तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 14 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

11/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक के लिये परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जावेगी।

12/ अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जावेगा।

13/ आवासीय विद्यालयों में जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

विशेष टीप– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते है अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

पृ. क्रमांक/1791/जजाकावि/स्थापना/2023 सिंगरौली दिनांक 04/04/202

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
6. संभागायुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
8. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा संभाग, रीवा म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, सिंगरौली, म.प्र.।
11. संबंधित संस्था प्रमुख .... जिला सिंगरौली म.प्र.।
12. श्री ....

को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सिंगरौली को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवसो के भीतर अपनी उपस्थिति देवें।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/1788 /जजाकावि/ स्थापना /2023 सिंगरौली दिनांक 01/04/2023

आदेश

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 19.10.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अंतर्गत सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के बिकल्प पर प्राप्त निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में नियुक्त किया जाता है–

2/

Sr.No	Name	Fathers Name	Address	Roll No	Rank	Category	Selected Category	Posting Place	District
1	ALANKRITA GAURAV	BUDDHILAL SAKET	WARD NO 7 GRAM PATHRAUDA POST JAWA JILA REWA M.P. 486223	23266502	5425	SC	SC/X/F	ST EXCELANCE SENIOR GIRLS HOSTEL WAIDHAN	SINGRAULI

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम– 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रूपये 25300/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्र. (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि(3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस. ई–मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें ऐसा करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:–

I. नियुक्ति आदेश।
II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्लू.एस. का नवीनतम प्रमाण पत्र)
IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र (परिशिष्ट–1)
V. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
VII. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है।)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति।
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड।
XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट–2)

7/ उक्त दस्तावेजों का सहायक आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तो की राशि जमा करनी होगी।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, आदि विषय म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम 1961 एवं म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण सेवा (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के प्रावधानो के अंतर्गत शासित होगें तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 14 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

11/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक के लिये परिवीक्षा अवधि आगे बढा दी जावेगी।

12/ अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जावेगा।

13/ आवासीय विद्यालयों में जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

विशेष टीप– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते है अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

पृ. क्रमांक/1789/जजाकावि/स्थापना/2023

सिंगरौली दिनांक 21/04/2023

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
6. संभागायुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
8. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा संभाग, रीवा म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, सिंगरौली, म.प्र.।
11. संबंधित संस्था प्रमुख .... जिला सिंगरौली म.प्र.।
12. श्री ....

....

को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सिंगरौली को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवसो के भीतर अपनी उपस्थिति देवें।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/1784 /जजाकावि/ स्थापना /2023 सिंगरौली दिनांक 01/04/2023

आदेश

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 19.10.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अंतर्गत सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के बिकल्प पर प्राप्त निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में नियुक्त किया जाता है–

2/

Sr.No	Name	Fathers Name	Address	Roll No	Rank	Category	Selected Category	Posting Place	District
1	GAYA PRASAD JATAV	HARIRAM JATAV	112 WARD 10 VILL POST SONTHAR VIDISHA VIDISHA VID M.P. 464001	23196181	21221	SC	SC/X/OP	SC MAHAVIDHYALEEN BOYS HOSTEL WAIDHAN	SINGRAULI

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम– 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रूपये 25300/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्र. (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि(3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस. ई–मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें ऐसा करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

I. नियुक्ति आदेश।

II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस

III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्लू.एस. का नवीनतम प्रमाण पत्र)

IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र (परिशिष्ट-1)

V. मूल निवासी प्रमाण पत्र।

VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।

VII. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है।)

VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति।

IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड।

XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-2)

7/ उक्त दस्तावेजों का सहायक आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तो की राशि जमा करनी होगी।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, आदि विषय म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 एवं म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण सेवा (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के प्रावधानो के अंतर्गत शासित होगें तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 14 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

11/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक के लिये परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जावेगी।

12/ अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जावेगा।

13/ आवासीय विद्यालयों में जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

विशेष टीप– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते है अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

पृ. क्रमांक/1785/जजाकावि/स्थापना/2023

सिंगरौली दिनांक 01/04/2023

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
6. संभागायुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
8. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा संभाग, रीवा म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, सिंगरौली, म.प्र.।
11. संबंधित संस्था प्रमुख .... जिला सिंगरौली म.प्र.।
12. श्री ....
....

को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सिंगरौली को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवसो के भीतर अपनी उपस्थिति देवें।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक /1782/जजाकावि/ स्थापना /2023 सिंगरौली दिनांक 02/04/2023

आदेश

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 19.10.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अंतर्गत सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के बिकल्प पर प्राप्त निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में नियुक्त किया जाता है–

2/

Sr.No	Name	Fathers Name	Address	Roll No	Rank	Category	Selected Category	Posting Place	District
1	SAKSHI VERMA	UDHAM SINGH VERMA	WARD NO. 4 RAVIDAS COLONY PANI KI TANKI KE PASS GANJ BASODA VID M.P. 464221	22740824	29269	SC	SC/X/F	ST SANUYKT SENIOR GIRLS HOSTEL WAIDHAN	SINGRAULI

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम– 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रूपये 25300/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्र. (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि(3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस. ई–मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें ऐसा करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

I. नियुक्ति आदेश।
II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्लू.एस. का नवीनतम प्रमाण पत्र)
IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र (परिशिष्ट-1)
V. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
VII. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है।)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति।
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड।
XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-2)

7/ उक्त दस्तावेजों का सहायक आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तो की राशि जमा करनी होगी।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, आदि विषय म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 एवं म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण सेवा (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के प्रावधानो के अंतर्गत शासित होगें तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 14 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

11/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक के लिये परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जावेगी।

12/ अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जावेगा।

13/ आवासीय विद्यालयों में जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

विशेष टीप– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते है अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

पृ. क्रमांक/1783/जजाकावि/स्थापना/2023 सिंगरौली दिनांक 01/04/2023

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
6. संभागायुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
8. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा संभाग, रीवा म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, सिंगरौली, म.प्र.।
11. संबंधित संस्था प्रमुख .... जिला सिंगरौली म.प्र.।
12. श्री ....

को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सिंगरौली को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवसो के भीतर अपनी उपस्थिति देवें।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक / 1780 / जजाकावि / स्थापना / 2023 — सिंगरौली दिनांक 01/04/2023

आदेश

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 19.10.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अंतर्गत सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के बिकल्प पर प्राप्त निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में नियुक्त किया जाता है–

2/

Sr.No	Name	Fathers Name	Address	Roll No	Rank	Category	Selected Category	Posting Place	District
1	LAXMI AHIRWAR	GOVIND AHIRWAR	NAGTARA RAVAN TEH VIDISHA VID M.P. 464001	22687939	32028	SC	SC/X/F	SC SENIOR GIRLS HOSTEL NO 1 WAIDHAN	SINGRAULI

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम– 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रूपये 25300/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्र. (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि(3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस. ई–मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें ऐसा करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:–

I. नियुक्ति आदेश।

II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस

III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्लू.एस. का नवीनतम प्रमाण पत्र)

IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र (परिशिष्ट–1)

V. मूल निवासी प्रमाण पत्र।

VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।

VII. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है।)

VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति।

IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड।

XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट–2)

7/ उक्त दस्तावेजों का सहायक आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तो की राशि जमा करनी होगी।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, आदि विषय म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 एवं म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण सेवा (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के प्रावधानो के अंतर्गत शासित होगें तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 14 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

11/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक के लिये परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जावेगी।

12/ अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जावेगा।

13/ आवासीय विद्यालयों में जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

विशेष टीप– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते है अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

पृ. क्रमांक/1781 /जजाकावि/स्थापना/2023 सिंगरौली दिनांक 01/04/2023

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
6. संभागायुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
8. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा संभाग, रीवा म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, सिंगरौली, म.प्र.।
11. संबंधित संस्था प्रमुख .... जिला सिंगरौली म.प्र.।
12. श्री ....

....

को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सिंगरौली को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवसो के भीतर अपनी उपस्थिति देवें।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/1778 /जजाकावि/ स्थापना /2023 सिंगरौली दिनांक 01/04/2023

आदेश

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 19.10.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अंतर्गत सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के बिकल्प पर प्राप्त निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में नियुक्त किया जाता है–

2/

Sr.No	Name	Fathers Name	Address	Roll No	Rank	Category	Selected Category	Posting Place	District
1	VISHKHA CHADAR	BHARAT CHADAR	94 GRAM POST SIMRHAR VIDISHA GULABGANJ M.P. 464220	2269 3629	32447	SC	SC/X/F	ST MAHAVIDH YALEEN GIRLS HOSTEL WAIDHAN	SINGRAULI

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम– 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रूपये 25300/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्र. (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि(3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस. ई–मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें ऐसा करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:–

I. नियुक्ति आदेश।
II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्लू.एस. का नवीनतम प्रमाण पत्र)
IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र (परिशिष्ट–1)
V. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
VII. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है।)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति।
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड।
XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट–2)

7/ उक्त दस्तावेजों का सहायक आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तो की राशि जमा करनी होगी।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, आदि विषय म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 एवं म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण सेवा (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के प्रावधानो के अंतर्गत शासित होगें तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 14 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

11/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक के लिये परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जावेगी।

12/ अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जावेगा।

13/ आवासीय विद्यालयों में जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

विशेष टीप– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते है अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

पृ. क्रमांक/1779/जजाकावि/स्थापना/2023

सिंगरौली दिनांक 01/04/2023

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
6. संभागायुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
8. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा संभाग, रीवा म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, सिंगरौली, म.प्र.।
11. संबंधित संस्था प्रमुख .... जिला सिंगरौली म.प्र.।
12. श्री ....

....

को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सिंगरौली को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवसो के भीतर अपनी उपस्थिति देवें।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/1776 /जजाकावि/ स्थापना /2023 सिंगरौली दिनांक 01/04/2023

आदेश

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 19.10.2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अंतर्गत सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिंगरौली के बिकल्प पर प्राप्त निम्नानुसार अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में नियुक्त किया जाता है–

2/

Sr.No	Name	Fathers Name	Address	Roll No	Rank	Category	Selected Category	Posting Place	District
1	DIPIKA	OMKAR	125 GRAM JARGUWA POST KURWAI KETHORA TESHIL KURWAI VID M.P. 464224	22656870	33625	SC	SC/X/F	SC MAHAVIDHYALEEN GIRLS HOSTEL WAIDHAN	SINGRAULI

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छटवां वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम– 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300–80500 के न्यूनतम वेतन रूपये 25300/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्र. (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि(3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधन नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम.एस. ई–मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें ऐसा करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

I. नियुक्ति आदेश।
II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्लू.एस. का नवीनतम प्रमाण पत्र)
IV. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र (परिशिष्ट-1)
V. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
VII. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियो की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है।)
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति।
IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड।
XI. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-2)

7/ उक्त दस्तावेजों का सहायक आयुक्त द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरान्त पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तो की राशि जमा करनी होगी।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, आदि विषय म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 एवं म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण सेवा (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के प्रावधानो के अंतर्गत शासित होगें तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 14 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति मे सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

11/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक के लिये परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जावेगी।

12/ अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जावेगा।

13/ आवासीय विद्यालयों में जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

विशेष टीप– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक/आय/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते है अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

पृ. क्रमांक/1777/जजाकावि/स्थापना/2023 सिंगरौली दिनांक 01/04/2023

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
6. संभागायुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
8. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
9. संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा संभाग, रीवा म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, सिंगरौली, म.प्र.।
11. संबंधित संस्था प्रमुख .... जिला सिंगरौली म.प्र.।
12. श्री ....
    ....
    को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सिंगरौली को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवसो के भीतर अपनी उपस्थिति देवें।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं. . . . . .विभाग में. . . . . .शिक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

(1) मैं. . . . . .पुत्र/पुत्रीश्री. . . . . .निवासीग्राम/कस्वा/शहर. . . . . .जिला. . . . . .मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं. . . . . .जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के लिएअधिसूचित है।

(2) मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेरा जाति प्रमाण–पत्र एवं वर्ष 2021-22 का आय प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक. . . . .

हस्ताक्षर. . . . .

नाम. . . . .

रोल नम्बर. . . . .

परिशिष्ट- दो (A)

:: शपथ पत्र::

फोटो

मैं......................................आयु..............पुत्र/पुत्री/पत्नी..निवासी...
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं-

1. यह कि मेरा चयन...पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है ।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तारनहीं किया गयाहै।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकारका कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न हीनिष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतःसही एवं सत्य है।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जोकि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात नहीं हुआ है।
11. मैं अविवाहित हूँ / मैंने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह नहीं किया है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता...सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 11 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णत: सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक................. को स्थान .... में किया गया है।

शपथग्रहिता

परिशिष्ट- दो (B)

:: शपथ पत्र::

1. मेरी नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग में ....पद पर हुई है, मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त पद पर वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा के आधार पर नियोजन प्रक्रिया अन्तर्गत पूर्व में जनजातीय कार्य विभाग/स्कूल शिक्षा विभागमें नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुआ है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता..सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका आज दिनांक.............. को................ में किया गया है।

शपथग्रहिता